कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर।

पत्रांक:एस0एस0ए0 / क0गा0बा0वि0 / नियुक्ति / 6252–61 / 2024–25 दिनांक: 09 दिसम्बर 2024

विज्ञप्ति

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0:एस0एस0ए0 / क0गा0बा0वि0 / नियुक्ति / 2945–54 / 2024–25 दिनांक: 08 अगस्त 2024 द्वारा वर्ष 2024–25 के जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्ण कालिका शिक्षिका, अंशकालिका शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया एवं चपरासी के पदों पर नियुक्ति (संविदा आधारित) हेतु वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों के **शैक्षिक सत्र 2024–25** मे कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक: 25.08.2024 को अपरान्ह 05:00 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे, जिसमें लेखाकार पद हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारण दिनांक: 09.12.2024 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति की बैठक में पुनः लेखाकार पद हेतु आवदेन करने की तिथि में समय विस्तर हेतु निर्देशित किया गया है।

अस्तु उक्त निर्देश के क्रम में जनपद के क0गा0बा0वि0 में रिक्त 02 लेखाकार पद हेतु निम्नवत् विवरणानुसार अर्हताधारी अभ्यर्थियों से **शैक्षिक सत्र 2024–25** में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर **दिनांक: 24.12.2024 को अपरान्ह 05:00** बजे तक जिला परियोजना कार्यालय / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

रिक्त पद का नाम	रिक्त पद की आरक्षित श्रेणी	रिक्त पद सं0	विषय एवं न्यूनतम् अर्हता	प्रतिमाह मानदेय	आयु गणना (01.04.2024को)	शैक्षिक योग्यता
लेखाकार	अनुसूचित जाति	2	स्नातक वाणिज्य तथा एम0एस0 आफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य।	13673.00 (13%नियोक्ता अंशदान सम्मिलित)	25–45 वर्ष	टैली पर कार्य करने का ज्ञान

नियम व शर्तें:–

1. रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
2. चयन महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ एवं निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0: के0जी0बी0वी0 / 11308 / 2022–23 दिनांक: 14.02.2023 एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0: बे0शि0 अनुभाग–5 / 1553 / 68–5–2020 दिनांक: 11 दिसम्बर 2022 के निर्देशानुसार किया जायेगा।
3. शासनादेश सं0 : 68–5099 / 37 / 2023 दिनांक: 20 अप्रैल, 2023 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत रिक्त पदो पर **केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।**
4. दिनांक 01.04.2024 को न्यूनतम् आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम् आयु 45 वर्ष से अधिक न हों।
5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रविधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा।
6. **भरे हुए आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों की छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक से जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर में दिनांक 24.12.2024 की सायं 05 बजे तक ही स्वीकार किये जाएगें। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।**
7. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारियां **http://balrampur.nic.in** पर भी उपलब्ध है। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद–बलरामपुर के सूचना पट्ट पर चस्पा है।
8. आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42–42 रूपये के डाक टिकट लगे हुए 02 लिफाफे, जिस पर आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नम्बर व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. **उक्त सभी नियुक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0–13553 / 2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।**

Scanned with OKEN Scanner

10. उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय यथावश्यकता निरस्त करने का अधिकार जिला चयन समिति का होगा, जिस पर कोई भी दावा स्वीकार नही होगा।

11. अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/साधारण डाक से प्राप्त/कटिंग/ओवरराइटिंग/निर्धारित प्रारूप से इतर एवं वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने आदि की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आवेदक का होगा।

12. चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

13. किसी भी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होगें।

14. चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः कराया जाएगा। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी प्रमाण पत्र/कागजात के फर्जी/कूट रचित पाए जाने की दशा में सम्बन्धित आवेदक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाएगी।

15. **सभी चयनित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी 11 माह 29 दिन के अनुबंध पर रखे ही जाएगें।** यह अनुबंध कार्य का होगा। इनके कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसको अच्छा पाए जाने पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उनकी संविदा का नवीनीकरण किया जाएगा।

16. लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

17. चयनित अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः आवेदन पत्र का प्रारूप।

(शुभम शुक्ला)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलरामपुर।

पृ0सं0: उक्तवत्।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर को सूचनार्थ ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलरामपुर को सूचनार्थ ।
4. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बलरामपुर से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को डायट मुख्यालय पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. उप जिलाधिकारी, बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को तहसील मुख्यालय पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बलरामपुर को इस अपेक्षा के साथ कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करने का कष्ट करें।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि प्रकाशित विज्ञप्ति को अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र पर चस्पा करायें।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को http://balrampur.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. ब्यूरो चीफ दैनिक समाचार पत्र **हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला**, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि दिनाक 10.12.2024 के अंक में उक्त विज्ञप्ति को पठनीय व न्यूनतम राजकीय दर पर अपने सम्मानित समचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा प्रकाशनोपरान्त भुगतान हेतु पेपर कटिंग के साथ बिल प्रस्तुत करें।
11. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर।

Scanned with OKEN Scanner